इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532]　　　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 27, शक 1934

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 18 दिसंम्बर 2012

क्र. एफ 1-6-2009-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1989 का 89) की धारा 65, 95, 96 धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल कक्ष क्रमांक 434 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उपरोक्त नियमों में, नियम 116 क में, उप-नियम (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दो) "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से जोड़ता है, किन्तु जिसमें साधारण मार्ग का ऐसा भाग जो 25 प्रतिशत से अधिक अथवा 15 कि.मी. से अधिक दोनों में से जो भी कम हो, सम्मिलित नहीं है."

NOTICE

F -1-6-2009-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 65, 95, 96, clause (e) of sub-section (2) of Section 138 and 211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department during office hours at room No. 434, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 116 A, in sub-rule (1) for clause (ii), the following clauses shall be substituted namely :—

"(ii) "Rural route" means a route which connects a village or town to another village or town, but which does not include the portion of ordinary route exceeding 25 percent or exceeding 15 kms, whichever is less."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.